

Miscellaneous Case No – 22/2018

Dist. - Nawada

=====

Mining Officer, Nawada

Vs.

M/s-Jai Mata Di Enterprises

=====

आदेश

02.04.2018

C.W.J.C. No.-4131/2018 मे० जय माता दी इंटरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.03.18 को पारित आदेश द्वारा इस वाद पर इस आधार पर स्थगन अधिरोपित किया गया है कि, खान आयुक्त द्वारा मूल प्राधिकार के किसी आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है, संदर्भित मामले में मूल प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए यह किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं है.

उल्लेखनीय है कि खनन पट्टा निलंबित/रद्द करने की खान आयुक्त की शक्ति, मूल क्षेत्राधिकार में बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 में प्रावधानित है। परन्तु इस नियमावली पर C.W.J.C. No.-15965/2017 पुष्पा सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 27.11.2017 को स्थगन आदेश अधिरोपित है, जिससे बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 पुनः प्रवृत्त है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी SLP(C) No. 33129/2017 में दिनांक 15.12.2017 को पारित आदेश द्वारा पूर्व वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को बरकरार रखा गया है. इस नियमावली में खान आयुक्त के मूल क्षेत्राधिकार में खनन पट्टा निलंबित अथवा समाप्त करने की शक्ति निहित नहीं है.

अतः संदर्भित न्यायादेश के आलोक में इस वाद को समाप्त करते हुए, मामले को गुण-दोष पर विचार कर उचित निर्णय लेने का निदेश समाहर्ता, नवादा को दिया जाता है. समाहर्ता, नवादा सम्बंधित बन्दोबस्तधारी को सुनकर शीघ्र उचित निर्णय लेंगे.

ह0/-

(अतुल प्रसाद)

खान आयुक्त

बिहार, पटना

ज्ञापांक:-.....1702...../एम0 पटना, दिनांक04.04.18.....

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, नवादा/सहायक निदेशक, नवादा/मेसर्स जय माता दी इंटरप्राइजेज, प्रो0-गोपाल प्रसाद, हनुमान कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, नवादा/श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक, खान/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

↑

सरकार के अवर सचिव।